


29



न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 निगरानी-6360/2018/होशंगाबाद/भू-रा0

श्रीमती यशोदा बाई पुत्री कन्हैयालाल
चौकसे, निवासी - वनखेड़ी, तहसील
वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, म0प्र0

श्री राजनी कन्हैयालाल शर्मा
26/11/18 235-2 बा
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-12-18 नियत।

— आवेदिका

~~क्लर्क ऑफ कोर्ट~~
राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर
26/11/18

विरुद्ध

- 1- नंदराम चौकसे,
- 2- दुर्गाप्रसाद पुत्रगण कन्हैयालाल चौकसे,
दोनों निवासी - ग्राम मुर्गीढाना,
तहसील वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद,
म0प्र0

— अनावेदकगण

R.V.S.
26/11/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
28.08.2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद
के प्रकरण क्रमांक 39/अपील/2017-18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार
वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के तहत इस
आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा कोठारी, तहसील वनखेड़ी स्थित

M

न्यायालय साजस्य मण्डल, म० प्र०, ग्वालिपूर

अनुसूति आदेशा पृष्ठ

प्रकरणा क्रमांक-निगरानी 6360/2018/होशंगाबाद/भूसा.

रक्षणान दिवसांक	तथ्या कार्यामाही तथ्या आदेशा	पक्षकाराही एका अभिप्राया। कर्ण आदेशा कर्ण हस्ताक्षर
6-12-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण आज ही सुन लिया जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है।</p> <p>2-आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी में पर्याप्त आधार होने से ग्राह्य की जाती है। अनावेदक को सूचना दी जावे। अभिलेख की मांग की जावे।</p> <p>पेशी दिनांक</p> <p>पुनश्च:</p> <p>यह निगरानी भूल वश ग्राह्य कर ली गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त नर्मापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 391/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28.8.18 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.11.18 को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2-म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान की जाती है। आवेदक चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है।</p>	<p align="right">R.V.S. 27/11/18</p> <p align="right">मूल दस्तावेज ग्राह्य लि</p> <p align="right">R.V.S. 7/12/18</p> <p align="right">चन्द्रकाश</p>